फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

प्रह्लाद ________ बनाम लक्ष्मीनारायण

(वाद) संख्या / वर्ष 26/2001 ____________ / 20 ________

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/5/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उप० पत्रावली वास्ते इंतजार तामील रिपोर्ट दि० 17/5/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
17/5/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/6/24 को पेश हो।	
7/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० [illegible] PR [illegible] से दुरुस्ती जात [illegible] रिपोर्ट प्राप्त शामिल मिसल है बहस [illegible] रिपोर्ट पर बहस वकील वादी सुनी गई वादी का वाद [illegible] [illegible] रिपोर्ट [illegible] डिक्री किया जाता है [illegible] [illegible] प्रमाण [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] शामिल पत्रावली किया जावे पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] दर्ज हो [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : 26/2021
निर्णय दिनांक : 07.06..2021

1. प्रहलादी देवी पत्नी भगवानसहाय जाति छिपा निवासी सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर। वादी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण उर्फ तुलसीराम पुत्र स्व0 मांगू जाति बागडा ब्राहम्ण
2. लादू पुत्र स्व0 मांगू जाति बागडा ब्राहम्ण
3. बिदामी पुत्री स्व0 मांगू जाति बागडा ब्राहम्ण
समस्त निवासीगण– ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
5. उप पंजीयक प्रथम सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से पेश पत्रावली मे दिनांक 13.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी 1 लगायत 3 प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम केश्यावाला पटवार हल्का मुहाना तह० सांगानेर में स्थित हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 81 रकबा 0.38 हैक्टेयर का तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन.तीन प्रतियों में तैयार करवा कर इस न्यायालय को दिनांक 31.03.2023 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर पत्रांक/भू.अ./कुर्रेजात/2024/3500 दिनांक 15.05.2024 द्वारा कुर्रेजात प्राप्त हुई।

पत्रावली पेश हुई। कुर्रेजात पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस उपस्थित वादी अधिवक्ता ने वाद को कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली एवं संलग्न कुर्रेजात का मनन करने पर वादी की ओर से पेश वाद का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम केश्यावाला पटवार हल्का मुहाना तह० सांगानेर में स्थित हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 81 रकबा 0.38 हैक्टेयर का तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियां

क.सं.	खाता नं	खातेदार	ख. नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	153	1. प्रहलादी देवी पत्नी भगवानसहाय हिस्सा 3/4 जाति छिपा सा0 सांगानेर 2. मांगू पुत्र धन्ना हिस्सा 1/4 जाति बागडा ब्राहम्ण सा0 सांगानेर	81	0.38	बरानी 2	2.28
		कुल किता	1	0.38		

वर्तमान विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट

पक्ष सं	खातेदार का नाम वल्दीयत	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	रंग	विवि
1.	प्रहलादी देवी पत्नी भगवानसहाय हिस्सा पूर्ण जाति छिपा सा0 सांगानेर	81 मि0	0.2850	बारानी2			
	कुल किता	1	0.2850				
2.	मांगू पुत्र धन्ना हिस्सा पूर्ण जाति बार ब्राहम्ण सा0 सांगानेर	81 मि0	0.0950	बारानी2			
	कुल किता	1	0.0950				

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये। कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested